उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

09 नवंबर, 2022

समक्ष:

माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार तिवारी

रिट याचिका (एम/एस) संख्या 2520 वर्ष 2022.

मध्य :

चरण सिंह और अन्य .....याचिकाकर्ता

(श्री टी. ए. खान, वरिष्ठ अधिवक्ता, सहायक सुश्री सदफ, अधिवक्ता, याचियों के अधिवक्ता श्री विनय भट्ट का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए)

एवं

श्रीमती विमला देवी और अन्य .....प्रत्यर्थी

(द्वारा श्री शोभित सहारी, प्रत्यर्थी 1,2 और 3 के अधिवक्ता और श्री योगेश सी. तीवारी , उत्तराखण्ड राज्य / प्रत्यर्थी न . 7 के स्थायी अधिवक्ता)

निर्णय :

संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत दायर इस रिट याचिका में , याचियों ने सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, बाजपुर, उधम सिंह नगर द्वारा 30 नवंबर, 2021 को पारित आदेश को चुनौती दी है,जिसके तहत आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के अन्तर्गत उनका आवेदन खारिज कर दिया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध उनके द्वारा दायर संशोधन को भी खारिज कर दिया गया, जिसे इस रिट याचिका में भी चुनौती दी गई है।

2. याचिकाकर्ता, वर्ष 2016 में प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 द्वारा दायर मुकदमा राजस्व वाद संख्या 22/15 सन 2015-16 में प्रतिवादीगण हैं। वादपत्र प्रकथन के अनुसार, वादी संख्या १ और २ के ससुर और वादी संख्या ३ के पिता, स्वर्गीय परमदेव सिंह, कृषि भूमि, जिनकी माप ०. ९२४ हेक्टेयर थी, जो खसरा नं. २९-खा और ३० चा, गांव झागरपुरी, तहसील गदरपुर, जिला उधम सिंह नगर में स्थित है, के संबंध में हस्तांतरणीय अधिकारों के साथ भूमिधर थे; परमदेव सिंह की मृत्यु के पश्चात वादियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए गए थे।

3. वादपत्र में अग्रेतर यह अभिवचन किया गया कि स्वर्गीय परमदेव सिंह के भतीजे, बेचन सिंह, स्वर्गीय परमदेव सिंह के एजेंट के रूप में प्रश्नगत भूमि की देख-रेख कर रहे थे, क्योंकि परमदेव सिंह मऊ (उत्तर प्रदेश) में रह रहे थे , बेचन सिंह की मृत्यु के पश्चात जब फरवरी, २००८, में वादी संख्या २ और ३, नंदपुर, जिला उधम सिंह नगर में आए, तब उन्हें यह पता चला कि स्वर्गीय बेचन सिंह ने समझौते की कार्यवाही के दौरान प्रश्नगत भूमि के संबंध में अपना नाम धोखाधड़ी से दर्ज कराया था, और उसके बाद उसने प्रतिवादी संख्या १, २ और ३ (यहां याचिकाकर्ता) के पक्ष में अवैध रूप से उसे बेच दिया था। वादियों ने आदेश दिनांकित १०. १२. १९९६ को वापस लेने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा बेचन सिंह का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया था, और वादियों द्वारा दाखिल आवेदन को सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा आदेश दिनांकित ७. ११. २००८ द्वारा स्वीकार किया गया था, और वादियों का

नाम राजस्व अभिलेखों में भूमिधर के रूप में फिर से दर्ज किया गया था। यह भी अभिवचन किया गया कि स्वर्गीय बेचन सिंह ने वादी संख्या १ के पति -स्वर्गीय रामजनम सिंह, के जाली हस्ताक्षर के साथ एक पारिवारिक समझौता किया था, हालांकि वह पिछले ३१ वर्षों से लापता था और उसकी सिविल मृत्यु को सिविल मुकदमा नंबर १४८३ सन 2003 में जिला मऊ में सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया था। वाद में, वादियों ने एक घोषणा की मांग की जिसके अन्तर्गत 26 अप्रैल 1999 और 04 जनवरी 2000 को प्रतिवादी संख्या 1,2 और 3 के पक्ष में स्वर्गीय बेचन सिंह द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख अमान्य घोषित हो । उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि मुकदमा सम्पति का कब्जा उन्हें सौंप दिया जाए।

4. याचिकाकर्ता, जो वाद में प्रतिवादी संख्या १, २ और ३ हैं, ने पहले सी. पी. सी. के आदेश ७ नियम ११ के अन्तर्गत इस वाद हेतु आवेदन दाखिल किया था कि राहत 'ए' और 'बी' के लिए अदा की गई न्यायालय फीस अपर्याप्त है और राहत 'सी' के लिए कोई न्यायालय फीस का भुगतान नहीं किया गया है, और अग्रेतर यह कि मुकदमा वाद हेतुक का खुलासा नहीं करता है। याचियों द्वारा दायर आवेदन का निपटान विद्वान अवर अदालत द्वारा दिनांक 06.08.2019 के आदेश के माध्यम से किया गया , जिसमें वादियों को राहत 'ए' व 'सी' के लिए अपेक्षित न्यायालय शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

5. इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने सी. पी. सी. के आदेश ७ नियम ११ के अन्तर्गत इस तर्क के साथ एक और आवेदन दायर किया कि विक्रेता (बेचन सिंह) एक पारिवारिक समझौते दिनांकित १४. ०१. १९९६ के माध्यम द्वारा प्रश्नगत भूमि का मालिक बन गया था, और जब याचिकाकर्ताओं ने भूमि खरीदी थी, तब स्वर्गीय बेचन सिंह कथित भूमि का पूर्ण स्वामी बन गया था। यह अग्रेतर प्रतिवादित किया गया कि वादियों के बहाली आवेदन पर सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा दिनांक 07.11.2008 को पारित आदेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ताओं ने एक संशोधन दायर किया और विद्वान अपर आयुक्त, कुमाऊं ने दिनांक 10.03.2011 के आदेश द्वारा मामले को सहायक अभिलेख अधिकारी के पास भेज दिया, और रिमांड आदेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ताओं ने एक रिट याचिका दायर की, जो उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, और अतिरिक्त आयुक्त द्वारा दिनांक 10.03.2011 को पारित निर्णय के संचालन पर रोक लगा दी गई है, अतः बहाली आवेदन में योग्यता पर निर्णय होने तक, सहायक अभिलेख अधिकारी के समक्ष वादियों द्वारा उद्घोषणा हेतु दायर मुकदमा अनुरक्षणीय नहीं है, नतीजतन, याचियों को वाद हेतुक उपलब्ध नहीं है। यह अग्रेतर तर्क दिया किया गया कि मुकदमा समय वर्जित है.

6. उक्त आवेदन को सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, बाजपुर द्वारा दिनांक 30.11.2021 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने अदालत के दिनांक 30.11.2021 के आदेश को चुनौती देते हुए संशोधन दायर किया, जिसे विद्वान आयुक्त, कुमाऊं डिवीजन द्वारा खारिज कर दिया विद्वान था। इस प्रकार व्यथित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ताओं ने सहायक कलेक्टर द्वारा पारित आदेश और आयुक्त द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती देते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

8. विद्वान सहायक कलेक्टर ने मामले पर विस्तार से विचार किया है और सीआरपीसी के आदेश 7 के नियम 11 के अन्तर्गत मुकदमा याचिकाकर्ताओं के आवेदन को खारिज करने का वैध कारण दिया है। यह निर्णय दिया गया है कि भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 54 के अन्तर्गत संक्षिप्त कार्यवाही में पारित आदेश की बहाली के लिए वादियों द्वारा मुकदमा आवेदन यह घोषणा करने के लिए नियमित वाद को रोक नहीं सकता है कि बिक्री विलेख अमान्य हैं। उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम की खंड 40 ए को भी संदर्भित किया गया है, जिसमें यह प्रावधान है कि संक्षिप्त कार्यवाही में पारित आदेश का स्वामित्व की घोषणा के लिए नियमित मुकदमा में कोई प्रभाव नहीं होगा। विद्वान विचारण अदालत ने भारतीय दंड संहिता के आदेश 7 के नियम 5 और 11 के अन्तर्गत याचियों के आवेदन पर दिनांक 06.08.2019 को पारित पहले के आदेश का भी उल्लेख किया है, जिसमें याचियों की आपत्ति कि वादपत्र में वाद हेतुक खुलासा नहीं किया गया है, को खारिज कर दिया गया था।

9. विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय ने भी इस मामले पर विस्तार से विचार किया है और 2011 की रिट याचिका (एम/एस) संख्या 668 में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित 28.10.2021 के अंतिम आदेश को पुनः प्रस्तुत किया है। समन्वय पीठ के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित रिमांड आदेश को दी गई चुनौती असफल थी।

10. यह न्यायालय पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क से सहमत है।

11. याचियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि नीचे के विद्वान न्यायालयों ने यह विचार नहीं किया कि मुकदमा कानून द्वारा निर्धारित परिसीमा अवधि की समाप्ति के पश्चात दायर किया गया था, इसलिए, नीचे के विद्वान न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द किया जा सकता है.

12. प्रत्यर्थी नं. १, २ और ३ के विद्वान अधिवक्ता स्पष्ट करते हैं कि उसके मुवक्किलों ने पहले एक सिविल न्यायालय के समक्ष एक घोषणात्मक वाद दायर किया था, यद्यपि याचियों ने एक रिट याचिका दायर करके एक सिविल न्यायालय के समक्ष वाद की अनुरक्षणीयता पर सवाल उठाया, और इस न्यायालय की एक पीठ ने दिनांक २. ०९. २०१५ को निर्णय दिया कि कृषि भूमि के संबंध में सिविल वाद अनुरक्षणीय नहीं है और उक्त निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था, परिणामस्वरूप, याचियों को राजस्व न्यायालय के समक्ष वाद दायर करना पड़ा। वह आगे प्रस्तुत करते है कि उसके मुवक्किल उत्तर प्रदेश राज्य के मऊ जिले के निवासी हैं, और उन्हें पता नहीं था कि उनकी भूमि स्वर्गीय बेचन 6 सिंह द्वारा चुपके से बेच दी गई थी, और जब उन्होंने बिक्री विलेखों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, तो उन्होंने तुरंत मुकदमा दायर किया, इस प्रकार मुकदमा दायर करने में उनकी ओर से कोई विलम्ब नहीं हुई, और सीमा की अवधि को बिक्री विलेखों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की तिथि से गणना की जानी है।

13. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 के नियम 11 के अन्तर्गत वादपत्र का अस्वीकार करना , न्यायालय को किसी सिविल कार्रवाई को समाप्त करने के लिए एक कठोर शक्ति प्रदान की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बार-बार दोहराया है कि आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के अन्तर्गत आवेदन पर विचार करते समय विवादित प्रश्नों का विनिश्चय नहीं किया जा सकता है। पोपट एंड कोटेचा सम्पति बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि, जो (2005) 7 एस. सी. सी. 510 में रिपोर्ट की गई है, को पुनः पेश किया जाता है -

> **“आदेश 7 के नियम 7 का मुकदमा (डी) वाद की बात करता है, जैसा कि वादपत्र के कथन से प्रतीत होता है कि किसी भी कानून द्वारा वर्जित है।आदेश 7 के नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत आवेदन पर विचार करते समय विवादित प्रश्नों का निर्णय नहीं किया जा सकता। आदेश 7 के नियम 11 का खण्ड (डी) केवल उन मामलों पर लागू होता है जहां वादी द्वारा वाद में दिया गया कथन , बिना किसी शंका या विवाद के, यह दर्शाता है कि मुकदमा किसी भी लागू विधि द्वारा वर्जित है।”**

14. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि किसी वाद के वादपत्र को अस्वीकार किया जा सकता है, यदि मुकदमा को समग्र रूप से पढ़ने पर, यह पाया जाता है कि वाद परिसीमा विधि द्वारा वर्जित है. यद्यपि, कभी कभी, परिसीमा का तर्क विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न बन जाता है, जिस पर फैसला मुद्दों के निर्धारण और साक्ष्य लेने के पश्चात् ही किया जा सकता है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बालासरिया कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड बनाम हनुमान सेवा ट्रस्ट, (2006) 5 एससीसी658 में रिपोर्ट किया गया।उक्त निर्णय के प्रासंगिक अंश को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> **“पार्टियों के वकीलों को सुनने के पश्चात, वादपत्र जांचना जाँचने के पश्चात, सीपीसी के आदेश 7 नियम 7 11 (डी) के अन्तर्गत आवेदन और विचारण अदालत और उच्च न्यायालय के निर्णयों के पश्चात हमारी मत है कि वर्तमान वाद को मुकदमा अभिवचन, परिसीमा के मुद्दे को तैयार करने और सबूत लेने के बिना सीमा द्वारा वर्जित के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है।परिसीमा का प्रश्न कानून और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है।**

मुकदमा के पठन पर वर्तमान मामले में यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि वाद समय द्वारा वर्जित है।"

15. आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के अन्तर्गत न्यायालय को उपलब्ध शक्ति के दायरे पर पी. वी. गुरु राज रेड्डी बनाम पी. नीरधा रेड्डी, (2015) 8 एस. सी. सी. 331 में रिपोर्ट किए गए मामले में विचार और चर्चा की गई थी, जहां माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि सी. पी. सी. के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत वादपत्र का अस्वीकरण न्यायालय में किसी सिविल कार्रवाई को समाप्त करने के लिए एक कठोर शक्ति प्रदान की गई है। अतः, आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्ववर्ती शर्तें कठोर हैं और न्यायालय द्वारा लगातार ऐसा अभिनिर्धारित किया गया है। वादपत्र के प्रकथनों को यह पता मुकदमा लिए कि क्या यह वाद हेतुक को प्रकट करता है या क्या वाद किसी कानून के से वर्जित है, समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए.आदेश ७ नियम ११ के अन्तर्गत शक्ति के प्रयोग के चरण में, लिखित बयान में या वादपत्र के अस्वीकृति के लिए आवेदन में प्रतिवादियों का पक्ष पूरी तरह से महत्वहीन है.यह मात्र तभी है जब मुकदमे में प्रकथन प्रथमदृष्टया वाद हेतुक खुलासा नहीं करते हैं या उनके पढ़ने पर वाद किसी कानून के अन्तर्गत वर्जित प्रतीत होता है, मुकदमा को अस्वीकार किया जा सकता है.अन्य सभी स्थितियों में, दावों पर सुनवाई के दौरान निर्णय सुनाया जाएगा।

16. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने राम प्रकाश गुप्ता बनाम राजीव कुमार गुप्ता (2007) 10 एससीसी 59 में रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है। कथित मामले में, विद्वान विचारण अदालत ने इस आधार पर मुकदमे को अस्वीकार कर दिया कि वाद परिसीमा द्वारा वर्जित है। उच्च न्यायालय ने विचारण अदालत के आदेश को सही ठहराया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए विचारण अदालत के आदेश को रद्द कर दिया।उक्त निर्णय के प्रासंगिक अंश को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"21.जैसा कि पहले कहा गया है, आदेश ७ नियम ११ (घ) के अन्तर्गत वादपत्र की अस्वीकृति के लिए दाखिल एक आवेदन में आदेश पारित करने से पहले, पूरे वादपत्र प्रकथनों को सत्यापित करना उचित है.उपरोक्त सामग्री स्पष्ट रूप से दिखाती है कि 1974 के वाद संख्या 183 में पारित डिक्री वर्ष 1986 में वादी के संज्ञान में आई, जब 1989 के वाद संख्या 424 का शीर्षक एसेमा आर्किटेक्ट बनाम राम प्रकाश मुकदमा किया गया था, जिसमें पहले की डिक्री की एक प्रति अभिलेख में रखी गई थी और उसके बाद उसने जल्द से जल्द कदम उठाए और घोषणा के लिए और कब्जे के लिए विकल्प में मुकदमा किया.इसमें कोई विवाद नहीं है कि परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 59 के अनुसार, ज्ञान की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर वाद मुकदमा किया जाना चाहिए था.वादपत्र में उल्लिखित ज्ञान को अपर्याप्त और अपूर्ण नहीं कहा जा सकता है जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा है।आदेश 7 के नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पर निर्णय करते समय, कुछ पंक्तियों या पैरा को अलग से नहीं पढ़ा जाना चाहिए और इसके वास्तविक महत्व का पता लगाने के लिए पूरे अभिवचनों को पढ़ना होगा।हमारा विचार है कि विचारण अदालत और उच्च न्यायालय दोनों वादपत्र में कथित प्रासंगिक प्रकथनों को लागू करने में विफल रहे.

22. यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि लिखित बयान दाखिल करने के पश्चात परिसीमा, विचारण सहित मुद्दों की रूपरेखा तैयार करने के पश्चात वादी से जिरह की गई थी, उसके बाद सुनवाई की समाप्ति से पहले, वादपत्र की अस्वीकृति के लिए आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन दायर किया गया था.यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि अपीलार्थी-वादी को इस आशय का कोई सुझाव भी नहीं दिया गया था कि उसके द्वारा किया गया मुकदमा परिसीमा द्वारा वर्जित है.

23. वादपत्र के सभी प्रकथनों का अध्ययन करने पर, हमारा विचार है कि विचारण न्यायालय ने वादपत्र में उपलब्ध सभी सामग्रियों पर ध्यान दिए बिना विलंब के स्तर पर उसे अस्वीकार करने में त्रुटि की है. उच्च न्यायालय ने भी विचारण अदालत के आदेश की पुष्टि करने में यही त्रुटि की है।

24.उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, हमने 2003 के मुकदमा 318 में दिल्ली के सिविल न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 20-2-2006 के विचारण अदालत के आदेश और 2006 के आर. एफ. ए. सं. 188 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27-4-2006 को पारित निर्णय को रद्द कर दिया।परिणामस्वरूप, सिविल अपील को अनुज्ञात किया जाता है और सिविल न्यायाधीश को वाद को उसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित करने और इस निर्णय के प्राप्त होने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर अधिमानतः गुणागुण के आधार पर उसका निपटान करने का निदेश दिया जाता है।यह स्पष्ट किया जाता है कि परिसीमा के प्रश्न के अलावा, हमने दोनों पक्षों द्वारा किए गए दावे के गुणों पर ध्यान नहीं दिया है.कोई खर्च नहीं।

17. हाल ही में दिए गए एक फैसले श्रीहरि हनुमानदास टोटाला बनाम हेमंत विट्ठल कामत और अन्य (2021) 9 एससीसी 99 में रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय इस प्रश्न पर विचार कर रहा था कि क्या वादपत्र की अस्वीकृति के लिए *प्रांग न्याय* आधार हो सकता है। उक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सी. पी. सी. के आदेश 7 के नियम 11 के अन्तर्गत शक्ति के क्षेत्र का विस्तार से विश्लेषण किया है।उ क्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 18 से 22 नीचे दिए गए हैं:

"18."इस स्तर पर, उन निर्णयों के प्रति निर्देश करना आवश्यक होगा जो विशेष रूप से इस प्रश्न से संबंधित हैं कि क्या पुनर्विलोकन वादपत्र के अस्वीकृति का आधार या कारण हो सकता है।कमला बनाम के. टी. ईश्वर सा [कमला बनाम के. टी. ईश्वर सा, (2008) 12 एस. सी. सी. 661] में, विचारण न्यायाधीश ने विभाजन के वाद में मुकदमा के नामंजूर किए जाने के लिए एक आवेदन को मंजूर किया था और इसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी।न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा ने दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 के नियम 11 (घ) की परिधि की जांच की और यह मत व्यक्त किया:(एससीसी 668-69, पैरा 21-22)

"21.संहिता के आदेश 7 के नियम 11 (घ) का प्रयोग सीमित है।यह अवश्य दिखाया जाना चाहिए कि मुकदमा किसी भी कानून के अन्तर्गत वर्जित है।ऐसा निष्कर्ष वादपत्र में किए गए प्रकथनों से निकाला जाना चाहिए.हमारे मत में, आदेश 7 के नियम 11 के विभिन्न खंडों को मिश्रित नहीं किया जाना चाहिए।जबकि किसी दिए गए मामले में, वादपत्र की अस्वीकृति के लिए एक आवेदन उसके विभिन्न उपखंडों में निर्दिष्ट एक से अधिक आधार पर दायर किया जा सकता है, उस प्रभाव का एक स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए.संहिता के आदेश 7 के नियम 11 के खंड (डी) को लागू करने के लिए वादपत्र में किए गए कथन प्रासंगिक होंगे.इस उद्देश्य के लिए कोई जोड़ या घटाव नहीं हो सकता है।किसी न्यायालय की ओर से अधिकार क्षेत्र के अभाव को संहिता के विभिन्न चरणों और विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत लागू किया जा सकता है।संहिता का आदेश 7 नियम 11 एक है, आदेश 14 नियम 2 दूसरा है।

22. संहिता के आदेश 7 नियम 11 (डी) को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी तरह के साक्ष्य पर विचार नहीं किया जा सकता है।मामले की योग्यता पर जो मुद्दे पक्षकारों के बीच उत्पन्न हो सकते हैं, वे उस स्तर पर न्यायालय के दायरे में नहीं होंगे।उक्त प्रावधान के अन्तर्गत सभी मुद्दे किसी आदेश का विषय नहीं होंगे।(बल दिया गया) न्यायालय ने अग्रेतर अभिनिर्धारित कियाःकमला केस (कमला बनाम के. टी. ईश्वर सा, (2008) 12 एससीसी 661), एससीसी पी 669, पैरा 23-25)

23. पूर्व न्यायनिर्णयन के सिद्धांत, जब आकर्षित होंगे, मुकदमे की खंड 12 को ध्यान में रखते हुए, एक और वाद को वर्जित कर देंगे।कानून और तथ्य के मिश्रित प्रश्न से संबंधित प्रश्न जिसके लिए न मात्र मुकदमे की बल्कि अन्य साक्ष्य की भी जांच की आवश्यकता हो सकती है और पहले के वाद में पारित आदेश को या तो प्रारंभिक मुद्दे के रूप में या अंतिम सुनवाई पर लिया जा सकता है, लेकिन उक्त प्रश्न का निर्धारण उस स्तर पर नहीं किया जा सकता है.

24. यह कहना एक बात है कि उनके चेहरे पर वादपत्र में किए गए प्रकथन वाद हेतुक को प्रकट नहीं करते हैं, लेकिन यह कहना दूसरी बात है कि हालांकि यह वाद हेतुक को प्रकट करता है, लेकिन यह एक कानून द्वारा वर्जित है।

25. इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय इस संबंध में एक समान नहीं हैं।लेकिन फिर, व्यापक सिद्धान्त जो उससे निकाला जा सकता है, वह यह है कि न्यायालय उस स्तर पर किसी साक्ष्य पर विचार नहीं करेगा या तथ्य या विधि के विवादित प्रश्न में प्रवेश नहीं करेगा।किसी भी कानून द्वारा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को वर्जित पाया जाता है, जिसका अर्थ है, उसके विषय-वस्तु, वादपत्र को अस्वीकार करने के लिए आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए।उपर्युक्त दृष्टिकोण का लगातार इस न्यायालय के निर्णयों में अनुसरण किया गया है ।चर्च ऑफ क्राइस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट एंड एजुकेशनल चैरिटेबल सोसाइटी बनाम पोन्नियम्मन एजुकेशनल ट्रस्ट [चर्च ऑफ क्राइस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट एंड एजुकेशनल चैरिटेबल सोसाइटी बनाम पोन्नियम्मन एजुकेशनल ट्रस्ट, (2012) 8 एससीसी 706:(2012) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 612], न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम (उस समय विद्वान मुख्य न्यायमूर्ति थे) ने दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए यह मत व्यक्त किया :(एससीसी पृष्ठ 713-14, पैरा 10-11)

"10..... उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि जहां वादपत्र वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है, वहां दावा की गई राहत का मूल्यांकन कम है और न्यायालय द्वारा अनुज्ञात समय के भीतर उसे ठीक नहीं किया गया है, पर्याप्त रूप से स्टांपित नहीं किया गया है और किसी भी कानून द्वारा वर्जित न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर उसे ठीक नहीं किया गया है, अपेक्षित प्रतियां संलग्न करने में विफल रहा है और वादी नियम 9 के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहा है, वहां न्यायालय के पास इसे अस्वीकार करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।उपर्युक्त उपबंध के पठन से यह भी स्पष्ट होता है कि संहिता के आदेश 7 के नियम 11 के अन्तर्गत शक्ति का विचारण के किसी भी प्रक्रम पर, वादपत्र को रजिस्टर करने से पहले या प्रतिवादियों को सम्मन जारी करने के पश्चात या विचारण की समाप्ति से पहले किसी भी समय किया जा सकता है।

11. इस स्थिति को सलीम भाई बनाम महाराष्ट्र राज्य [सलीम भाई बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2003) 1 एससीसी 557] में इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया था, जिसमें, संहिता के आदेश 7 नियम 11 पर विचार करते हुए, यह निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गया था:(एससीसीपी पृष्ठ 560, पैरा 9)

'9. सीपीसी के आदेश 7 के नियम 11 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इसके तहत एक आवेदन पर निर्णय लेने के लिए जिन प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने की आवश्यकता है, वे वादपत्र में प्रकथन हैं.विचारण अदालत वादपत्र को पंजीकृत करने से पहले या विचारण की समाप्ति से पहले किसी भी समय प्रत्यर्थी सम्मन जारी करने के पश्चात वाद के किसी भी चरण आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग कर सकती है.आदेश 7 सीपीसी के नियम 11 के खंड (ए) और (डी) के अन्तर्गत एक आवेदन

पर फैसला करने के प्रयोजनों के लिए, वादपत्र में प्रकथन मुनासिब हैं.लिखित बयान में प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए अभिवचन उस चरण में पूरी तरह से असंगत होंगे, इसलिए, सीपीसी के आदेश 7 के नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पर फैसला किए बिना लिखित बयान दाखिल करने का निर्देश विचारण न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र के उपयोग से संबंधित प्रक्रियात्मक अनियमितता के अलावा कुछ नहीं हो सकता है.यह स्पष्ट है कि आदेश 7 नियम 11 पर विचार करने के लिए, विचारण न्यायालय को मुकदमे में प्रकथनों पर विचार करना होगा और इसका प्रयोग विचारण अदालत द्वारा वाद के किसी भी चरण में किया जा सकता है.यह भी स्पष्ट है कि लिखित कथन में प्रकथन सारहीन हैं और वादपत्र में प्रकथनों/अभिवचनों की जांच करना न्यायालय का कर्तव्य है.दूसरे शब्दों में, इस तरह के आवेदन पर निर्णय लेते समय, वादपत्र में प्रकथन पर विचार करने की आवश्यकता है.उस स्तर पर, लिखित बयान में प्रत्यर्थी द्वारा की गई दलीलें पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं और मामले का निर्णय मात्र वादपत्र 12 प्रकथनों पर किया जाना है.इन सिद्धांतों को रैप्टाकोस ब्रेट एंड कंपनी लिमिटेड बनाम गणेश सम्पति (रैप्टाकोस ब्रेट एंड कंपनी लि. बनाम गणेश प्रॉपर्टी (1998) 7 एससीसी 184] और मायर (एचके) लिमिटेड बनाम वेसल एम. वी. फॉर्च्यून एक्सप्रेस (मायर (एच. के.) लि. बनाम वेसल एम. वी. फॉर्च्यून एक्सप्रेस, (2006) 3 एससीसी 100) और अन्य वाले मामले में दोहराया गया है।इसी प्रकार, सौमित्र कुमार सेन [सौमित्र कुमार सेन बनाम श्यामल कुमार सेन, (2018) 5 एससीसी 644:(2018) 3 एस. सी. सी. (iv) 329], सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें यह दावा किया गया था कि वादपत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वाद को पूर्व न्यायिक डेटा द्वारा वर्जित किया गया था।विचारण न्यायाधीश ने आवेदन को खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की गई।न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी ने उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए यह अभिनिर्धारित किया:(सौमित्र कुमार सेन मामला [सौमित्र कुमार सेन बनाम श्यामल कुमार सेन, (2018) 5 एससीसी 644:(2018) 3 एससीसी (सीआईवी) 329], एससीसीपी 649, पैरा 9)

"9. प्रथम दृष्टया, यह देखा जा सकता है कि जहां तक स्थायी और आज्ञापक व्यादेश की राहत का संबंध है जो वाद हेतुक पर आधारित है।इसके साथ ही इस तरह की राहत पर विचारण न्यायालय द्वारा तभी विचार किया जा सकता है जब वादी इस तरह का वाद लाने के लिए अपने अधिस्थिति को स्थापित करने में समर्थ हो।यदि अपीलकर्ता द्वारा अपने लिखित कथन में किए गए प्रकथन सही हैं, तो ऐसा वाद अनुरक्षणीय नहीं हो सकता है क्योंकि अपीलकर्ता के अनुसार यह पहले ही पिछले दो वादों में विनिश्चित किया जा चुका है कि प्रत्यर्थी 1-वादी अपना हिस्सा लेने के पश्चात साझेदारी फर्म से बहुत पहले सेवानिवृत्त हो गया है और यह अपीलकर्ता (या अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी 2) है जो मेसर्स सेन इंडस्ट्रीज के मामलों का प्रबंधन करने के लिए हकदार हैं.यद्यपि इस स्तर पर, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से इंगित किया गया है, लिखित बयान में बचाव नहीं किया जा सकता है.आवेदन का सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 के नियम 11 के अन्तर्गत निर्णय लेने के लिए वाद को देखना पड़ेगा । यह संभव है कि चतुराई से मसौदा तैयार किए गए मुकदमा से वादी ने 2008 के वाद संख्या 268 के बारे से विवरण नहीं दिया, जो उसके विरुद्ध आदेश किया गया।उसने 1995 के मुकदमा 103 के बारे में, जिसमें निर्णय को अंतिम रूप दिया गया है, उल्लेख करने का पूरी तरह से लोप कर दिया है.इस अर्थ में, वादी-प्रत्यर्थी 1 दमन और छिपाने का दोषी हो सकता है, यदि अपीलकर्ता द्वारा किए गए प्रकथन अंततः सही पाए जाते हैं।यद्यपि विधि के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 के नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन का विनिश्चय करते समय

लिखित कथन में प्रस्तावित ऐसे 13 प्रतिरक्षा अग्रेतर विचार नहीं किया जा सकता है।(सौमित्र कुमार सेन मामला [सौमित्र कुमार सेन बनाम श्यामल कुमार सेन, (2018) 5 एससीसी 644:(2018) 3 एससीसी (सीआईवी) 329], एससीसीपी 650, पैरा 12)।

"12..... अपीलकर्ता ने पहले दो मामलों का उल्लेख किया है जो प्रत्यर्थी 1 द्वारा दायर किए गए थे और जिनमें वह विफल रहा था.ये न्यायिक रिकॉर्ड हैं।अपीलकर्ता पहले के दो वादों में अभिवचनों की प्रमाणित प्रतियां और साथ ही उन कार्यवाहियों में न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों की प्रतियां दाखिल करके अपने प्रकथनों की शुद्धता को आसानी से प्रदर्शित कर सकता है।वास्तव में, सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) द्वारा दिनांक 31-3-1997 को पारित निर्णय और डिक्री, सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) द्वारा दिनांक 31-3-1998 को पारित निर्णय की प्रति, सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) द्वारा पारित डिक्री को बनाए रखने के साथ-साथ सिविल न्यायाधीश, 2008 के वाद संख्या 268 में जूनियर डिवीजन द्वारा दिनांक 31-7-2014 को पारित निर्णय और डिक्री की प्रतियां अपीलकर्ता द्वारा अभिलेख पर रखी हैं।पहले वाद का निर्णय करते समय, विचारण विचारण न्यायालय ने एक स्पष्ट निष्कर्ष दिया कि पक्षकारों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, प्रत्यर्थी 1 ने 2,00,000 रुपये की राशि स्वीकार की थी और, इसलिए, कथित वाद विबंध, माफी और सहमति के सिद्धांतों द्वारा वर्जित था.इस तरह के मामले में, हालांकि अपीलकर्ता द्वारा सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 का सहारा लेना उपयुक्त नहीं था, लेकिन साथ ही, विचारण विचारण न्यायालय, मुद्दों को तैयार करने के पश्चात उन मुद्दों को उठा सकती है जो वाद की रखरखाव से संबंधित हैं और पहली बार में उनका फैसला कर सकती है.इस तरीके से अपीलकर्ता, या उस मामले में पक्षकार, लंबी कार्यवाही की अनावश्यक पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं, यदि अपीलकर्ता को अंततः अपनी प्रस्तुतियों में सही पाया जाता है।(बल दिया गया) यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अपीलकर्ता द्वारा आदेश 7 के नियम 11 का आश्रय लेना उपयुक्त नहीं था, इस न्यायालय का मानना है कि विचारण अदालत, मुद्दों को तैयार करने के पश्चात उन मुद्दों को उठा सकती है जो वाद की धारणीयता से संबंधित हैं और पहली बार में उनका निर्णय कर सकती है।न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कार्यवाही का यह अनुक्रम अपीलकर्ता को लम्बी कार्यवाही से बचने में मदद करेगा।

19. इस न्यायालय ने हाल ही में शक्ति भोग फूड इंडस्ट्रीज लि. बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शक्ति भोग फूड इंडस्ट्रीज लि. बनाम केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया, (2020) 17 एससीसी 260], इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर द्वारा बोलते हुए, विचारण अदालत द्वारा आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत एक वादपत्र की अस्वीकृति के बारे में इस पीठ पर विचार कर रही थी कि यह परिसीमा द्वारा वर्जित था।न्यायालय ने सलीम भाई बनाम महाराष्ट्र राज्य [सलीम भाई बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2003) 1 एससीसी 557] चर्च ऑफ क्राइस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट [चर्च ऑफ क्राइस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट एंड एजुकेशनल चैरिटेबल सोसाइटी बनाम 9 पोन्नियम्मन एजुकेशनल ट्रस्ट, (2012) 8 एससीसी 706 (2012) 4 एससीसी (सीआईवी) 612] सहित पहले के निर्णयों को निर्दिष्ट किया और यह मत व्यक्त किया कि:(चर्च ऑफ क्राइस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट मामला [चर्च ऑफ क्राइस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट एंड एजुकेशनल चैरिटेबल सोसाइटी बनाम पोन्नियम्मन एजुकेशनल ट्रस्ट, (2012) 8 एससीसी 706:(2012) 4 एससीसी (सीआईवी) 612], एससीसीपी 714, पैरा 11)

"11.... यह स्पष्ट है कि आदेश 7 नियम 11 पर विचार करने के लिए, न्यायालय को मुकदमे के प्रकथनों पर विचार करना होगा और इसका प्रयोग वाद के किसी भी चरण में विचारण अदालत द्वारा किया जा सकता है।यह भी स्पष्ट है कि लिखित कथन में प्रकथन सारहीन हैं और वादपत्र में प्रकथनों/अभिवचनों की जांच करना न्यायालय का कर्तव्य है.दूसरे शब्दों में, इस तरह के आवेदन पर निर्णय लेते समय, वादपत्र में प्रकथन पर विचार करने की आवश्यकता है. उस स्तर पर, लिखित बयान में प्रत्यर्थी द्वारा की गई दलीलें पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं और मामले का निर्णय मात्र वादपत्र प्रकथन पर किया जाना है.इन सिद्धांतों को रैप्टाकोस ब्रेट एंड कंपनी लिमिटेड बनाम गणेश प्रॉपर्टी (रैप्टाकोस ब्रेट एंड कंपनी लि. बनाम गणेश प्रॉपर्टी (1998) 7 एससीसी 184] और मायर (एचके) लिमिटेड बनाम एम. वी. फॉर्च्यून एक्सप्रेस (मायर (एच. के.) लि. बनाम वेसल एम. वी. फॉर्च्यून एक्सप्रेस, (2006) 3 एससीसी 100) और अन्य वाले मामले में दोहराया गया है।'

20.उपरोक्त प्राधिकारियों के अवलोकन पर, आदेश 7 के नियम 11 (घ) के अन्तर्गत एक आवेदन पर निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता हैः

(i) किसी वाद को इस आधार अस्वीकार करने के लिए कि वह कानून द्वारा प्रतिबंधित है, वाद में समाहित प्रकथन को संदर्भित करना होगा;

(ii) प्रार्थना पत्र के गुणदोषों का निर्धारण करते समय प्रत्यर्थी द्वारा वाद में दिए गए बचाव/सफ़ाई पर विचार नहीं किया जाना चाहिए; (iii) यह निर्धारत करने के लिए कि कोई वाद पूर्वन्याय द्वारा वर्जित है या नहीं, यह जरूरी है कि (i) 'पूर्व वाद' निर्णीत हो (ii) अनुवर्ती वाद में समाहित मुद्दे सीधे तौर पे या काफी हद तक पूर्ववर्ती वाद से मिलते जुलते हों; (iii) पूर्ववर्ती वाद समान पक्षों या पक्ष जिनके माध्यम से उन्होंने दावा किया है समान हों, और समान शीर्षक से मुकदमा किया गया हो; और (iv) यह कि किसी न्यायालय, जो कि अनुवर्ती वाद को जाँचने में सक्षम हो, द्वारा इन मुद्दों पर सुनवाई की गई हो और अंतिम रूप से विनिश्चित किया गया हो; और

(iv) चूंकि पूर्वन्याय की दलील की सुनवाई में पूर्ववर्ती वाद के अभिवचन, मुद्दों और फैसलों पर विचार करने की जरूरत है, ऐसी दलील आदेश 7 के नियम 11 (डी) से परे होंगे, जिसमें वाद में दिए गए कथन का ही अवलोकन करना होगा।

21. वर्तमान मामले में, वादपत्र के अर्थपूर्ण पठन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब पहले प्रत्यर्थी ने पश्चातवर्ती वाद मुकदमा किया था, तो उसे 13 मार्च 2007 को किए गए पहले वाद (ओएस नं. 103/2007) के दूसरे प्रत्यर्थी के रूप में अभियोजित किया गया था.पहले प्रत्यर्थी ने पश्चातवर्ती वाद, ओएस १३८/२००८ किया, हालांकि उसे पहले वाद की जानकारी थी.बाद के वाद में वादपत्र, जो पहले प्रत्यर्थी द्वारासंस्थित किया गया था, इंगित करता है कि वह केएसएफसी के पक्ष में निष्पादित बंधक के बारे में अवगत था, कि केएसएफसी ने अपने देय राशियों की वसूली के लिए सम्पति को बेचकर अपना प्रभार निष्पादित किया था और यह कि सम्पति अपीलकर्ता के पूर्ववर्ती के पक्ष में 8 अगस्त, 2006 को बेची गई थी.वास्तव में, वादपत्र में एक प्रकथन है कि इस बात की पूरी संभावना है कि पहले प्रत्यर्थी को ओएस १०३/२००७ में कब्जे के लिए एक डिक्री का सामना करना पड़ सकता है, जिसने पहले प्रत्यर्थी को बिक्री विलेख की वैधता को चुनौती देने के लिए वाद संस्थित करने के लिए मजबूर किया है.इस तथ्य को देखते हुए कि नीलामी और उसके बाद के केएफएससी द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख को कोई चुनौती नहीं दिए जाने के बारे में पिछले वाद में एक तर्क उठाया गया था, यह संभव है कि पहले प्रत्यर्थी ने तब अपने अधिकारों का प्रयोग करने का निर्णय लिया

और बाद का मुकदमा किया.चाहे जो भी हो, मुकदमे को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि पहले प्रत्यर्थी ने इस तथ्य को छिपाने का प्रयास नहीं किया है कि उस समय सम्पति के संबंध में एक वाद सिविल न्यायालय के समक्ष लंबित था.यह भी ध्यान देने क लिए प्रासंगिक है कि पहले प्रत्यर्थी द्वारा वाद (ओएस नं. १३८/२००८) के संस्थित किए जाने के समय, ओएस नं. १०३/२००७ में सिविल न्यायालय द्वारा कोई डिक्री पारित नहीं की गई थी.इस प्रकार, उस समय ओएस नं. 103/2007 में उठाए गए मुद्दों पर निर्णय नहीं किया गया था.इसलिए, वादपत्र, इसके सामने, किसी भी तथ्य का खुलासा नहीं करता है जो हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचा सकता है कि इसे इस आधार पर खारिज किया जाना चाहिए कि यह पूर्व न्यायिक सिद्धांतों द्वारा वर्जित है.उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में अपने दृष्टिकोण में सही थे कि अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों पर निर्णय लेने के लिए, न्यायालय को वादपत्र में प्रकथनों के परेजाना होगा, और अभिवचनों, और ओएस नं. १०३/२००७ में निर्णय और डिक्री का अवलोकन करना होगा.आदेश 7 के नियम 11 के अन्तर्गत एक आवेदन पर वाद पत्र के चार कोनों के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए।विचारण विचारण और उच्च न्यायालय आदेश 7 के नियम 11 (डी) 22 के अन्तर्गत आवेदन को खारिज करने में सही थे।

22.उपर्युक्त कारणों से, हम अभिनिर्धारित करते हैं कि वादपत्र आदेश ७ नियम ११ (घ) के अन्तर्गत अस्वीकार किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं था और विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि करता है.यद्यपि हम स्पष्ट करते हैं कि हमने इस बारे में कोई मत व्यक्त नहीं की है कि क्या पश्चातवर्ती मुकदमा पुनः न्याय के सिद्धांतों द्वारा वर्जित है।

हम अपीलकर्ता को, जो केएसएफसी द्वारा आयोजित एक नीलामी में वाद सम्पति के वास्तविक क्रेता के समनुदेशिती होने का दावा करता है, ओएस नं. १३८/२००८ में अपर सिविल न्यायाधीश, बेलगाम के समक्ष वाद की रखरखाव का मुद्दा उठाने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं.बेलगाम के अपर सिविल न्यायाधीश इस बात पर विचार करेंगे कि क्या आदेश 14 के अन्तर्गत प्रारंभिक मुद्दा तैयार किया जाना चाहिए और यदि ऐसा है तो प्रारंभिक मुद्दा उठाने के तीन महीने के भीतर इसका फैसला करेंगे।किसी भी स्थिति में , मुकदमे का अंतिम निर्णय 31 मार्च 2022 की बाहरी सीमा के भीतर किया जाएगा।

18. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने राघवेंद्र शरण सिंह बनाम राम प्रसन्ना सिंह (मृत) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय पर भरोसा किया, जिसको (2020) 16 एससीसी 601 में रिपोर्ट किया गया है। यद्यपि कथित निर्णय तथ्यों पर अलग है, क्योंकि उस मामले में वादी ने स्वयं 06.03.1981 को एक पंजीकृत उपहार विलेख निष्पादित किया था और वर्ष 2002 में, लगभग 22 वर्षों के पश्चात उसके द्वारा घोषणा के लिए एक मुकदमा किया गया था कि 1981 में निष्पादित उपहार विलेख एक दिखावटी और फर्जी लेनदेन है और उपहार विलेख के बल पर प्रतिवादियों को कोई हक नहीं दिया गया था। इस प्रकार मुकदमे के प्रकथनों से यह स्पष्ट था कि वाद परिसीमा द्वारा वर्जित है।

19. वर्तमान मामले में, वादियों ने दलील दी कि मालिक होने का दावा करके याचिकाकर्ताओं के पक्ष में स्वर्गीय बेचन सिंह द्वारा विक्रय विलेख धोखाधड़ी से निष्पादित किया गया था और उन्हे धोखाधड़ी वाले विक्रय विलेख के बारे में फरवरी, 2008 में ही जानकारी प्राप्त हुई, जब वे बेचन सिंह के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए गांव आए थे।

20. इस प्रकार, वादी ने विक्रय विलेख के बारे में फरवरी, 2008 में जैसा कि अभिकथित है ज्ञान प्राप्त किया या नहीं, यह एक ऐसा प्रश्न है, जिसका विनिश्चय सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 के नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पर विचार करते समय नहीं किया जा

सकता। इस प्रकार, वर्तमान मामले में, परिसीमा के संबंध में प्रश्न तथ्य और विधि का मिश्रित प्रश्न बनता है जिसका विनिश्चय पक्षकारों द्वारा दिए गए साक्ष्य के पश्चात ही किया जा सकता है।

21. इस प्रकार, पुनरीक्षण विचारण द्वारा पुष्टि किए गए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

22. तदनुसार, रिट याचिका विफल हो जाती है और खारिज की जाती है।

(मनोज कुमार तिवारी, जे)

अर्पण